संक्षिप्त

अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई

दूदू । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों (विद्यालय-महाविद्यालय स्तरीय) और आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया छात्र छात्राओं की मांग और आवश्यकता को देखते हुए विभाग ने आवेदन तिथि को 15 सितंबर तक बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में स्वीकृत नवीन छात्रावासों में भी छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा। मोदी ने विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को तिथि बढ़ोतरी की सूचना का प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जितने अधिक से अधिक पात्र छात्र- छात्राओं का प्रवेश होगा उतनी ही योजना कारगर साबित होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के सभी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों (विद्यालय-महाविद्यालय स्तरीय) एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 31 अगस्त, 2025 तिथि निर्धारित की गई थी।

राजस्थान टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया

शाहपुरा। रूबी स्कूल, कोयंबटूर (तमिलनाडु) में राजस्थान टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पुरुष वर्ग ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया। वहीं महिला वर्ग ने सराहनीय प्रयास कर चौथा स्थान प्राप्त किया। टीम की इस उपलब्धि का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत एवं समर्पण के साथ-साथ टीम मैनेजर सुभाष चंद बुनकर को दिया गया। इसी प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष वर्ग टीम के कप्तान विजय राज चौधरी को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन, राजस्थान के अध्यक्ष कृष्ण कुमार कुमावत तथा संस्था सचिव सुबेन्द्र कोठारी ने पूरी टीम, कप्तान, प्रशिक्षकों एवं प्रबंधक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

ईष भारद्वाज के निवास पर मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री शर्मा

अलवर। अलवर निवासी भाजपा के युवा एवं जुझारू नेता रामगढ-अलवर प्रदेष कार्य समिति सदस्य पंचायती राज भारतीय जनता पार्टी ईष भारद्वाज के अलवर काला कुआं स्थित निवास पर पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार पूर्व अध्यक्ष देवस्थान विभाग राजस्थान एस.डी.शर्मा अपने साथियों के साथ मिलने पहुंचे। ईष भारद्वाज ने बताया कि पूर्व राज्य मंत्री एसडी शर्मा उनके निवास पर औपचारिक मुलाकात करने पहुंचे जहां अलवर की राजनीति पर उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राजस्थान और केन्द्र सरकार देष ने देष की जनता के लिए अनेकों योजनाओं को लागू किया जिनका लाभ आम जनता को मिले इसके लिए भाजपा के हर सदस्य को जनता से जुडना होगा और सरकार की लाभकारी योजनाओंको आम जन तक पहुचाना हमारी जिम्मेदारी है उसे सभी भाजपा नेता मिल कर निभाएं।

भरतपुर सेवर मार्ग पर गहरे गड्ढे

भरतपुर। भरतपुर सेवर मार्ग पर गहरे गड्ढे सड़क हादसों को दावत दे रहे हैं। इस व्यस्ततम मार्ग पर गहरे गड्ढों ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। वर्षा के दौरान जलभराव होने से ये गड्ढे और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं और खासकर दो पहिया वाहन सवार घायल हो जाते हैं। इस मार्ग पर दिनभर बड़ी संख्या में वाहनों व आम लोगों का आना-जाना लगा रहता है। रोड की इस स्थिति से नागरिक खासे नाराज हैं।

आम सभा सूचना

अरिहंत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि., जयपुर के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों पर स्वीकृति एवं अन्य विषयो पर विचार हेतु सोसाइटी की साधारण आम सभा की बैठक दिनांक 27.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे मित्तल पैराडाईज जे.एल.एन. मार्ग जयपुर पर रखी गई है। विस्तृत नोटिस सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर पर चस्पा किया गया है, जिसे किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

सचिव, अरिहंत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि.

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जिला प्रमुख ने स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बैठक ली

टोंक। जिला प्रमुख सरोज बसंल की अध्यक्षता में जिला परिषद में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंध में बैठक रखी गयी, जिसमें विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पंचायत राज विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में जिला प्रमुख सरोज बसंल ने सभी विकास अधिकारीयों को निर्देशित किया कि पंचायतराज की आयोजित बैठको ,प्रशिक्षणों, कैम्पो, जनसुनवाई आदि कार्यक्रमों में प्लास्टिक से निर्मित फोल्डर, पानी की बोतले आदि वस्तुओं के उपयोग नहीं कर राजीविका द्वारा निर्मित जूट का फोल्डर तथा पानी के लिए स्टील की बोतले काम ली जावें। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को प्लास्टिक के सम्बन्ध में जिला प्रमुख सरोज बसंल ने बैठक में सभी अधिकारियों को बताया।

पंचायती राज विभाग के अधीन हस्तान्तरित विभागों द्वारा किये जा रहे, कार्या को जैसे कचरा निपटान, वृक्षारोपण, साफ-सफाई, कीचड निपटान, बैठको, सामुदायिक कार्या आदि की फोटो, वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाले जिससे लोगो को जानकारी ओर जनता जागरूक हो सके। जिसके संबंध में ललित कुमार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, टोंक ने सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सप्ताह में पंचायत समिति वार दिवस तय कर दिया जावेगा जिसमें कार्य के फोटो वीडियो रील्स सेन्ड करे तथा इस बात का भी ध्यान रखे जिसमें कार्य की पूर्व की स्थिति एवं बाद की स्थिति को भी दर्शाया जावे। जिला प्रमुख सरोज बसंल ने सभी विकास अधिकारियों को बताया कि अगले माह में पंचायती राज मंत्री का टोंक जिले में भ्रमण हो सकता है। वह किसी भी ग्राम पंचायत में जा सकते है, इसके संबंध में ललित कुमार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, टोंक ने अवगत कराया है कि जिले में स्वच्छ जिला -स्वच्छ राजस्थान कैम्प 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चलाया जा रहा है। जिसमें घर-घर कचरा संग्रहण हेतु ग्रामीणां का जागरूक करना व नियमित सफाई करना,व्यक्तिगत शौचालयों की सफाई हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करना, पिंक टॉयलेट, सामुदायिक शौचालय की नियमित सफाई करना, गांव में साफ-सफाई हेतु वातावरण का निर्माण करना।

जिला प्रमुख बसंल की अध्यक्षता में जिला परिषद में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंध में बैठक हुई।

- जिला प्रमुख सरोज बसंल ने बैठक में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को प्लास्टिक के सम्बन्ध में सभी अधिकारियों को बताया

बैठक में ललित कुमार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक, राजेश्वरी यादव विकास अधिकारी पंचायत समिति, निवाई, सतपाल कुमावत विकास अधिकारी पंचायत समिति टोडारायसिंह, सविता राठौड पंचायत समिति टोंक, हेमराज सौलंकी अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति पीपलू, डॉ शेलेन्द्र चौधरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दामोदर बैरवा जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जिला परिषद, टोंक आदि उपस्थित थे।

सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने से ग्रामीणों में आक्रोश

निवाई। ग्राम पंचायत भरथला की बालापुरा ढाणी क्षेत्र में पंचायत प्रशासन द्वारा विकास कार्यों में गंभीर अनियमितताएँ एवं भ्रष्टाचार किया गया है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी रामकरण सिंह को विकास कार्यों की जांच करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बालापुरा ढाणी निवासी मनोज यादव, घनश्याम, रमेशचन्द, जयनारायण व राधाकिशन सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में हरिनारायण यादव के बाड़े से जयनारायण यादव के बाड़े तक सडक़ निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा इस कार्य हेतु बजट भी स्वीकृत करवाया गया था। बजट उठाने के बाद भी धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ।

उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा थोड़ा-बहुत कार्य करवाकर इतिकर दी। उसमें भी भ्रष्टाचार करके घटिया सामग्री का उपयोग कर आधा-अधूरा तथा घटिया निर्माण किया गया है। अधूरे व घटिया निर्माण के कारण ग्रामवासियों एवं बच्चों को स्कूल आने-जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

- विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की

उन्होंने बताया कि कई बार इस समस्या से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया, किन्तु केवल आश्वासन दिया गया और कार्य पूरा नहीं कराया गया। जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में बताया कि पंचायत प्रशासन द्वारा विकास के नाम पर भ्रष्टाचार कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

उन्होंने एसडीएम एवं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, सडक़ निर्माण का शेष कार्य करवाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने, आरटीआई अधिनियम के अनुसार इस मामले की जांच करवाने की मांग की है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हुई बैठक

भरतपुर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विषेष रूप से सक्षम बच्चों एवं समाज में उनके प्रति विधिक जागृति फैलाने हेतु खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिता आयोजित करने को लेकर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर अनुतोष गुप्ता की उपस्थित में बैठक का आयोजन किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर ने बैठक में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी दिषा निर्देषों की पालना करते हुए सफलता पूर्वक प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिष्चित करने हेतु आवष्यक रूपरेखा तैयार कर दिषा निर्देष प्रदान किए। सचिव के द्वारा बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में विषेष रूप से सक्षम बालकों के लिए आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में जिला षिक्षा अधिकारी के सहयोग से प्रत्येक सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत विषेष योग्यजनों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में भाग लिया जाएगा।

आंचल मदर मिल्क बैंक स्थापना दिवस पर किया सम्मानित

भरतपुर। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि यह जीवन बचाने वाला एक ऐसा परोपकारी कार्य है जो किसी की मदद करने के लिए रक्त का दान करता है, जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके. ऐसे ही स्तन दूध दान भी एक परोपकारी कार्य है। स्तन दूध दान बीमार और समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए जीवन रक्षक होता है। भरतपुर के जनाना अस्पताल के मिल्क बैंक के 9 वे स्थापना दिवस पर स्तन दूध दान देने वाली नौ महिलाओं को सम्मानित किया गया. अब तक इस मिल्क बैंक में 8 हजार 943 महिलाओं ने 9 साल में 20 लाख 67 हजार 280 एम एल स्तन दूध दान किया है।

भरतपुर जनाना अस्पताल में आंचल मदर मिल्क बैंक कि प्रभारी अंजना शर्मा ने बताया कि 1 सितंबर 2016 को इस बैंक की राजस्थान में सबसे पहले स्थापना हुई थी इसका 9वा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर भरतपुर और डीग जिले की सबसे ज्यादा दूध का दान करने वाली 9 महिलाओं का सम्मान किया गया.इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा रही। उन्होंने बताया कि सम्मानित होने वाली 9 महिलाओं में डीग निवासी अंजू पत्नी मोहन,कामा निवासी जुनैदा पत्नी बिलाल, भरतपुर के गांव तमरेर निवासी कोमल पत्नी गब्बर,डीग के बहज गांव निवासी आरती पत्नी सचिन, बयाना निवासी मुनेश पत्नी रामराज, भुसावर निवासी मीरा पत्नी संजय,डीग निवासी ललिता पत्नी पिंटू,भरतपुर के नमक कटरा निवासी निशा पत्नी संतोष,शहर के हीरादास निवासी पूजा पत्नी प्रशांत को सम्मानित किया गया। सबसे ज्यादा स्तन दूध दान करने महिला अंजू पत्नी मोहन ने 16 बार आकर 3695 एम एल, जुनैदा पत्नी बिलाल ने 11 बार आकर 3040 एम एल और कोमल पत्नी गब्बर ने 18 बार आकर 2330 एम एल दूध दान किया है। उन्होंने बताया कि एक सितंबर से 2016 से 2025 तक 8 हजार 943 महिलाओं ने मिल्क बैंक में 16 हजार 847 बार आकर 20 लाख 67 हजार 280 एम एल दूध दान किया है मिल्क बैंक की क्षमता 600 से 700 यूनिट स्तन दूध की है।

रामदेव मंदिर में भव्य झांकी और विशाल भण्डारे का आयोजन

पावटा। प्रागपुरा कस्बे में एक्साईन कार्यालय स्थित प्राचीन रामदेव मंदिर अनेक समुदाय के लोगों के लिए सामाजिक समरसता एवं आस्था का केंद्र बना है। इस मंदिर में हिन्दू, मुस्लिम और सिख तीनों धर्मों के लोग बड़ी श्रद्धा से माथा टेककर धोक लगाते हैं। भादवा शुक्ल पक्ष की नवमी के अवसर पर सोमवार को लोक देवता रामसा पीर की भव्य झांकी व विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया।

- सामाजिक समरसता एवं आस्था का केंद्र बना रामदेव मंदिर

इस मौके पर रामदेवजी मंदिर महंत रामेश्वर दास व करणदास महाराज के सानिध्य में सुबह श्रद्धालुओं द्वारा तेज बरसात में भी डीजे की धुन पर नाचते गाते और बाबा रामदेव जी के जयकारों के साथ एक सुंदर व भव्य शोभायात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली गई। यात्रा कस्बे के अम्बेडकर नगर से शुरू हुई जिसमें लोग पचरंगा ध्वज निशान हाथों में लेकर खम्मा घणी के जय जयकारे लगाते हुए कस्बे के प्रमुख रास्तों से भ्रमण कर रामदेव मंदिर पहुंचे। जहां लोक देवता बाबा रामसा पीर के दाल चूरमे का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को पंगत प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकार हरिराम यादव एण्ड पार्टी व छैला सोनू मारवाड़ी और गायिका सोहनी यादव द्वारा भजनों की प्रस्तुती दी गई।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित श्रद्धालु।

बलदेव गोयल बने अग्रवाल महासभा पावटा के नए अध्यक्ष

पावटा। अग्रवाल महासभा पावटा के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में बलदेव गोयल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है। बलदेव गोयल ने अध्यक्ष पद पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भवानी शंकर अग्रवाल को 165 मतों से हराया। मतदान रविवार सुबह पावटा सुभाष चौक स्थित केशव सागर धर्मशाला में सम्पन्न हुए और शाम को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। मतगणना सम्पन्न होने के बाद निर्वाचन अधिकारी अशोक मंगल, विमल गर्ग, धर्मेंद्र गोयल, सुशील बंसल, दीपक गोयल ने बताया कि लगातार बारिश के कारण 1513 मतदाताओं मे से 700 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर बलदेव गोयल को अध्यक्ष पद के लिए विजयी घोषित किया।

वहीं उपाध्यक्ष पद पर पंकज जिंदल व कोषाध्यक्ष पद पर अमित पंसारी को निर्विरोध विजय घोषित किया गया। वही महामंत्री पद पर यतीश बंसल विजयी रहे। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि अध्यक्ष बलदेव गोयल ने 356 मत प्राप्त किए और प्रतिद्वंदी भवानी शंकर अग्रवाल ने 336 मत प्राप्त किए।

एक मत नोटा व सात मत खारिज हुए। इस तरह बलदेव गोयल ने 20 मतों से प्रतिद्वंदी भवानी शंकर अग्रवाल को हराकर अध्यक्ष पद प्राप्त किया। वही महामंत्री पद के लिए यतीश बंसल ने 398 व प्रतिद्वंदी राजेश ने 389 मत प्राप्त किए। नौ मत नोटा व 14 मत खारिज हुए। जिस पर 19 मतो से यतीश बंसल को विजयी घोषित किया गया। परिणाम को जानने के लिए सुबह से ही समाज के लोगों एवं शहरवासियों में उत्साह था। प्रत्याशी व उनके समर्थक मतगणना स्थल पर परिणामों को लेकर चर्चा करते दिखाई दिए। विजयी प्रत्याशियों ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

कलक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखण्ड अधिकारियों की बैठक ली

अलवर । जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखण्ड अधिकारियों की बैठक लेकर ई-गिरदावरी, सम्पर्क पोर्टल एवं एनएफएसए के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने बिन्दुवार समीक्षा कर उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) 2022 के अन्तर्गत शेष लम्बित आवेदनों का निस्तारण आगामी 15 दिवस में करना सुनिश्चित करें, ताकि जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के पोर्टल ओपन होने के संबंध में भी आमजन को अवगत कराया जाए, ताकि पात्र व्यक्ति नए आवेदन कर सके। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार गिव अप अभियान के तहत अधिकाधिक सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना में से नाम हटवाने को प्रेरित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रतिदिन संबंधित अधिकारी पोर्टल का अवलोकन करें। उन्होंने कहा कि परिवेदनाओं के जल्दी निस्तारण में गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जावे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई मॉनिटरिंग सिस्टम व अन्य जनसुनवाई से प्राप्त परिवेदनाओं का भी गुणवत्ता के साथ त्वरित निराकरण किया जावे।

कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने उपखण्ड अधिकारियों की बैठक ली।

- राजस्थान संपर्क पोर्टल व अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित व गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें : जिला कलैक्टर

जिला कलक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व संबंधित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समयावधि में नियमानुसार निस्तारित करें।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 6465/25
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम सत्यजीत सरकार पुत्र श्री सुब्रता सरकार जाति....
विवाद स्थान 122 बी. वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर
मृतक कमला रानी सरकार की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 10.09.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम कमला रानी सरकार पत्नी पुलिन बिहारी सरकार जाति... निवासी 122 बी. वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10 माह 09 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 05 माह 08 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

खोया पाया

सुमित्रा अग्रवाल धर्मपत्नी पी एल अग्रवाल निवासी 69/395 हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 43, जैम एन्कलेव, मालवीय नगर, जयपुर के पट्टे सहित समस्त दस्तावेज कहीं खो गये है किसे मिले तो सूचित करें- 9413315511

मेरा मकान नं.86/115 प्रताप नगर, सांगानेर का मूल कब्जा पत्र (डिक्लेरेशन) कहीं गुम हो गय है मिलने पर सूचित करें-धीरज प्रकाश 9829750511

स्व. श्री सत्येंद्र कुमार गुप्ता निवासी 4 च 13, जवाहर नगर जयपुर, आवासन मंण्डल कार्यालय द्वारा आवंटीत किया गया मकान 4 च 13 का मूल आवंटन पत्र खो गया है । मिलने पर निम्न फ़ोन नंबर पर सूचित करे। कमल कान्त गुप्ता फ़ोन- 9829925255

मेरे प्लाट न 223-ए ऑफिसर्स एन्क्लेव कलवार रोड जयपुर के मूल डॉक्यूमेंट सोसायटी पट्टा रसीद साइड प्लान जयपुर विकास प्राधिकरण से कही गुम हो गये है, जो मूल आवटी चन्द्र मोहन शर्मा की आवटीत किया गया था जिसकी रसीद न.10190 दिनांक 01-07-1997 को जारी किया गया था सूचित करेः चन्द्र मोहन शर्मा मो. 9549016666

मेरे भूखण्ड सं- 14/OH/32 ब्लाक-H जे.डी.ए. की योजना रिंग रोड परियोजना का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन-पत्र और कब्जा पत्र कही गुम हो गया है सूचित करेः मानव बजाज मो. 9602999333

सार्वजनिक सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक:- जविप्रा/जोन-9/2025 / सी- 3379 दिनांक:- 29.08.2025
निजी खातेदारी की योजना पिंकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 149 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज की लीजडीड श्री विजय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री हरि प्रसाद शर्मा के नाम से दिनांक 21.08.2009 को जारी की गयी है। भूखण्ड के मूल दस्तावेज गुम होने पर आवेदक द्वारा भूखण्ड के प्रमाणित दस्तावेज अपलोड किये गये है। दस्तावेज गुम होने के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा एफ.आई.आर, खोया-पाया की प्रति संलग्न की गयी है। आवेदक श्री विजय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री श्री हरि प्रसाद शर्मा द्वारा एफ.आई.आर, खोया-पाया की प्रति अपलोड कर लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः निजी खातेदारी की योजना पिंकसिटी एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 149 का लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जानी है। इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अधीन प्रस्तुत करें अन्यथा लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी किये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-9 जविप्रा, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम प्रियंका नन्दकिशोर वारेकर से बदलकर प्रियंका संदेश जाधव कर लिया है, प्रियंका संदेश जाधव पत्नी संदेश जाधव निवासी-12, गोविन्द नगर पश्चिम, एकता विहार कॉलोनी, आमेर रोड़, जयपुर, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैं जै. सी. 877845 नायब सूबेदार रबिनारायण भान्जा पता- ग्राम बंधापड़ा, पोस्ट- राजापुर, जिला- जाजपुर (उड़ीसा) मेरे सर्विस रिकॉर्ड में बेटी का नाम अनुराधा है जो गलत है सही नाम अनुराधा भान्जा है शब्द पत्र संख्या - 23872522236950 दिनांक 21.08.2025

मैंने अपना नाम आबेदा बीबी (Abeda Bibi) से बदलकर आबेदा बेगम (Abeda Begam) रख लिया है। भविष्य में मुझे आबेदा बेगम (Abeda Begam) पत्नी स्व. श्री अब्दूल हमीद (Abdul Hamid) निवासी 4/649, गुलशन ए सत्तार नूर कॉलोनी, अजमेर के नाम से जाना जाये।

I have changed my name from Manju Begum to Manjo Begam W/o Abdul Hakeem for All future purpose. R/0 705, Mohalla goriyan, Dargah kadam Rasool, Bas Badanpura, Jaipur 302003

I uchhab kanwar legally wedded spouse of service no 8008788 rank sepoy late Hari singh S/O bhur singh Resident of bichala kua ki dhani chirara jaipur that i want to change my name which is wrongly entered my husband service record from UCHHAP KUMARI To UCHHAB KANWAR (DOB 13/7/1959) vide affidavit dated 28 August 2025 before district notary Jaipur

I ic/ army no 13687149M Rank EX ACP NB Sub Bansidhar Jat S/O. Resident of plot no A-59 Balaji Vihar-22 loha mandi road machera harmada jaipur that i want to change my spouse name which is wrongly entered my service record from KAVITA (DOB 8/2/1982) To KAVITA DEVI (DOB 7/2/1982)vide affidavit dated 28 August 2025 before sub divisional majistrate Rampura Dabri Jaipur

COLLEGE OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, UDAIPUR (Raj.)
No.: CTAE/Acctts/Tender/2025/3860-64 Date: 30-08-2025
निविदा आमंत्रण सूचना
(NIT: CTAE/NIT/2025-26/05)
विभिन्न वस्तुओं, जिनकी अनुमानित लागत (1) लेबोरेटरी फर्नीचर (रु. 4.00 लाख), एवं (2) अपग्रेडेसन ऑफ़ लेबोरेटरी- फाल्स सीलिंग, दिवार पनेलिंग एवं पर्दे (रु. 7.25 लाख), की आपूर्ति के लिए मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। समस्त शर्तें एवं विस्तृत विवरण www.mpuat.ac.in; www.ctae.ac.in या http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। भविष्य में निविदा से संबंधित कोई भी शुद्धिपत्र केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही उपलब्ध होगा।
UBN: ATU2526GSOB00177 and ATU2526GSOB00178
Dean, CTAE

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई माधोसिंह स्टेडियम, जयपुर, कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283, फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी - rsscjaipur@gmail.com
No. :- F.8/KIUG-2025/Joinery Work/RajKaj Ref. 17481696 Date :- 29/08/2025
निविदा सूचना संख्या 38/2025-26
राजस्थान में आयोजित होने वाले खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 हेतु आयोजन स्थलों/स्थानों (संभाग मुख्यालयों) पर आवश्यक रखरखाव/मरम्मत ज्योनरी कार्य हेतु राज्य/केन्द्र सरकार के संगठनों/विभागों में पंजीकृत संवेदकों से ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in & www.rssc.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. RSC2526WSOB00040
राज.संवाद/सी/25/9215 सचिव

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
मालवीय नगर शाखा, सी-39, हरि मार्ग, करधनी शॉपिंग सेन्टर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर-302017, फोन नं.: 0141-2521630
ई-मेल: maljai@bankofbaroda.com
मोचन (REDEMPTION) सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना
दिनांक: 13.08.2025
मैसर्स यश फैशन (ऋणी एवं फर्म)
प्लॉट नं. 369, महावीर नगर, दादाबाड़ी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302017
श्री यश वर्मा पुत्र श्री दिनेश कुमार वर्मा (प्रोपराईटर)
प्लॉट नं. 369, महावीर नगर, दादाबाड़ी, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302017
श्री विक्रम पाल सिंह पुत्र श्री धर्म चंद (जमानतदार)
मकान नं. 76/47 ए शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020
विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अंतर्गत सूचना।
संदर्भ: 1. सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी दिनांकित 03.08.2024 मांग नोटिस।
2. सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत जारी दिनांकित 14.11.2024 कब्जा नोटिस।
प्रिय महोदय/महोदया,
जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा, मालवीय नगर शाखा, सी-39, हरि मार्ग, करधनी शॉपिंग सेन्टर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर-302017 के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूत लेनदार बैंक होने के नाते सरफेसी अधिनियम 2002 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ प्रदत्त शक्तियों के तहत दिनांक 03.08.2024 को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें आपको ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार होने के नाते उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग नोटिस में बताई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया।
और चूंकि आप राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 4 और/या नियम 8 के साथ पठित, प्रतिभूत संपत्ति (जिन्हें आगे उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया) का कब्जा ले लिया है, जिसका विशेष रूप से नीचे अनुसूची में वर्णन किया गया है।
प्रतिभूत संपत्ति पर कब्जा लेने के बाद भी, आपने उपरोक्त कब्जा नोटिस में उल्लेखित बैंक को देय राशि का भुगतान नहीं किया है आपका ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8)